

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**THE MINISTRY OF CLIMATE POLICY AND
GREEN GROWTH**

OF

THE NETHERLANDS

AND

**THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE
ENERGY**

OF

**THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDIA**

ON

CO-OPERATION IN THE FIELD

OF

RENEWABLE ENERGY

PREAMBLE

The Ministry of Climate Policy and Green Growth of the Government of the Netherlands and the Ministry of New and Renewable Energy of the Government of the Republic of India (hereinafter referred to as the "Participants" and individually as the "Participant"):

Having identified Renewable Energy as a common area of interest; and

Recognizing the common interests shared by the Participants to combat climate change and to accelerate and enhance the implementation of the Paris Agreement and in leading the global transition to clean energy through development of reliable, affordable and sustainable energy sources for all;

Desiring to establish cooperation between entities of India and the Netherlands, with the aim to accelerate the clean energy transition by promoting the use of Renewable Energy, mutually benefitting from lessons learned regarding renewable energy policy and promoting the development of Renewable Energy Technologies.

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE I OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish the foundation for a cooperative institutional relationship, with the objective to encourage and promote bilateral technical cooperation in the field of renewable energy, and to contribute to the implementation of the Paris Agreement, the UN Sustainable Development Goals and the global energy transition, on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Participants.

ARTICLE II AREAS OF COOPERATION

The Participants will, subject to the laws, rules, regulations and national policies, governing the subject matter in their respective countries, endeavor to take necessary steps and promote cooperation in the field of renewable energy. The areas of cooperation will focus on the development and implementation of renewable energy technologies, exchanging policies, capacity building and lessons learned in following areas:

- a. Wind Energy, including policy and regulation on offshore wind;
- b. Biomass, bio-energy and Waste to energy;
- c. Green Hydrogen and green ammonia, including related international trade;
- d. Solar Energy;
- e. Energy storage;
- f. Any other alternate energy sources of mutual interest.

ARTICLE III MODALITIES OF COOPERATION

Cooperation under this Memorandum of Understanding may take the following modalities:

- a. Exchange and training of scientific and technical personnel;
- b. Exchange of scientific and technological information and data;
- c. Organization of workshops, seminars and working groups;
- d. Organization of policy dialogues;
- e. Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest; and
- f. Other modalities as may be decided upon by the Participants.

ARTICLE IV JOINT WORKING GROUP / Governance

In order to coordinate the above mentioned activities and to advise upon project proposals related to design and development of various renewable energy technologies, the Participants will establish a "Joint Working Group" (JWG) with the following functions:

- a. Identifying areas of mutual interest and cooperation for development and implementation of renewable energy technologies, systems, sub-systems, devices, components etc.;
- b. Draft a work plan to initiate activities on one or more areas of cooperation;
- c. Monitoring and evaluating cooperation activities; and

- d. Any other activities as may be jointly decided upon by the Participants in writing.

The Participants will designate one main representative each to the Joint Working Group for the aforesaid activities. The Joint Working Group will meet at least twice a year with the objective to fulfill its functions as stated above and to monitor the co-operation in progress. The Joint Working Group will to the extent possible conduct the work through electronic communication, but meet alternately in India and the Netherlands whenever considered necessary.

The Diplomatic Missions of the Participants will be involved in the implementation of this Memorandum of Understanding. Moreover, the Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centres, universities or any other entity, as and when considered essential.

ARTICLE V FINANCING

Each Participant will bear its own costs in all programmes of cooperation and meetings of Joint Working Group contemplated under this MoU.

ARTICLE VI SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute between the Participants arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Participants to the dispute.

ARTICLE VII AMENDMENTS

The Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Participants through exchange of Notes between the Participants through the diplomatic channel.

ARTICLE VIII ENTRY INTO EFFECT, DURATION AND TERMINATION

This Memorandum of Understanding will enter into force on the date of its signature, thereof by the Participants and will remain in effect for a period of

five (5) years. Thereafter this Memorandum of Understanding may be renewed for a further period of 5 years if jointly decided by mutual written consent of the Participants.

Either Participant may terminate this Memorandum of Understanding by giving three months written advance notice to the other Participant of its intention to terminate this MoU. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programme and projects under this MoU.

This Memorandum of Understanding is not legally binding and does not create any rights or obligations for the Participants under International law.

IN WITNESS THERE OF, the undersigned being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Signed at New Delhi on this day 12th September of the year 2024 in two (2) originals, each in Hindi and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text will prevail.

Signature:

Name: Ms. Marisa Gerards

Designation: Ambassador

Signature:

Name: Bhupinder S Bhalla

Designation: Secretary

**FOR THE MINISTRY OF CLIMATE
POLICY AND GREEN GROWTH
OF THE GOVERNMENT OF THE
NETHERLANDS**

**FOR THE MINISTRY OF NEW
AND RENEWABLE ENERGY
OF THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**

भारत गणराज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

मंत्रालय

और

मिनीस्ट्री ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी एंड ग्रीन ग्रोथ

ऑफ द नीदरलैंड्स

के बीच

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग

के संबंध में

समझौता ज्ञापन

प्रस्तावना

भारत गणराज्य की सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीदरलैंड सरकार के क्लाइमेट पॉलिसी एंड ग्रीन ग्रोथ मंत्रालय (जिन्हें इसके बाद “भागीदारों” और अलग-अलग रूप से “भागीदार” कहा जाएगा):

अक्षय ऊर्जा को साझा हित के क्षेत्र के रूप में चिह्नित करते हुए; और

जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा पेरिस करार के कार्यान्वयन में तेजी लाने और सभी के लिए भरोसेमंद, किफायती और वहनीय ऊर्जा स्रोतों का विकास करके स्वच्छ ऊर्जा की ओर वैश्विक परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए भागीदारों द्वारा साझा किए गए सामान्य हितों को स्वीकार करते हुए;

अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित कर, अक्षय ऊर्जा नीति से प्राप्त अनुभवों से परस्पर लाभान्वित होकर और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देकर, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने के उद्देश्य से भारत और नीदरलैंड की संस्थाओं के बीच सहयोग स्थापित करने की इच्छा से निम्नलिखित समझौते पर सहमत हुए हैं;

अनुच्छेद I

उद्देश्य

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और भागीदारों के बीच परस्पर हित, समानता और पारस्परिकता के आधार पर पेरिस करार, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को कार्यान्वित करने में योगदान करने के उद्देश्य से सहयोगात्मक संस्थागत संबंध का आधार स्थापित करना है।

अनुच्छेद II

सहयोग के क्षेत्र

भागीदार, अपने-अपने देशों में, इस विषय से संबंधित कानूनों, नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अधीन, आवश्यक कदम उठाने और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। सहयोग के क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और कार्यान्वयन, नीतियों के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और निम्नलिखित क्षेत्रों में प्राप्त अनुभव पर ध्यान केंद्रित करेंगे:

क. अपतटीय पवन के संबंध में नीति और विनियम सहित पवन ऊर्जा;

- ख. बायोमास, जैव-ऊर्जा और अपशिष्ट से ऊर्जा;
- ग. ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के साथ ही संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार;
- घ. सौर ऊर्जा;
- ङ. ऊर्जा भंडारण;
- च. परस्पर हित के कोई अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत।

अनुच्छेद III

सहयोग के तौर तरीके

इस समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित तौर तरीकों से सहयोग किया जा सकता है:

- क. वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;
- ख. वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी तथा आंकड़ों का आदान-प्रदान;
- ग. कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और कार्य समूहों का आयोजन;
- घ. नीति परक संवादों का आयोजन;
- ङ. परस्पर हित के विषयों के संबंध में संयुक्त अनुसंधान अथवा तकनीकी परियोजनाओं का विकास; और
- च. भागीदारों द्वारा निर्धारित अन्य तौर तरीके।

अनुच्छेद IV

संयुक्त कार्य समूह/अभिशासन

उपर्युक्त क्रियाकलापों का समन्वयन करने और विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के डिजाइन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर परामर्श देने के लिए, भागीदारों द्वारा निम्नलिखित कार्यों के साथ एक "संयुक्त कार्य समूह" (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की जाएगी:

- क. अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, उप-प्रणालियों, उपकरणों, पुर्जों आदि के विकास और कार्यान्वयन के लिए परस्पर हित और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना;
- ख. सहयोग के एक अथवा अधिक क्षेत्रों के संबंध में क्रियाकलापों की शुरुआत करने के लिए कार्य योजना का प्रारूप तैयार करना
- ग. सहयोग के क्रियाकलापों की निगरानी और मूल्यांकन करना तथा
- घ. भागीदारों द्वारा संयुक्त रूप से लिखित रूप में तय किए जाने वाले अन्य कोई क्रियाकलाप

भागीदारों द्वारा उपर्युक्त क्रियाकलापों के लिए संयुक्त कार्य समूह में प्रत्येक की ओर से एक मुख्य प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। संयुक्त कार्य समूह वर्ष में कम-से-कम दो बार बैठक करेगा, जिसका उद्देश्य अपने उपर्युक्त कार्यों को पूरा करना और प्रगति में सहयोग की निगरानी करना होगा। संयुक्त कार्य समूह, जहां तक संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कार्य का संचालन करेगा, परंतु आवश्यक समझे जाने पर, भारत और नीदरलैंड में बारी-बारी से बैठक करेगा।

भागीदारों के राजनयिक मिशन इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में शामिल होंगे। इसके अलावा, आवश्यक समझे जाने पर, संयुक्त कार्य समूह वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों या किसी अन्य संस्था से अन्य सदस्यों को सहयोजित कर सकता है।

अनुच्छेद V

वित्तपोषण

इस समझौता ज्ञापन के तहत विचार किए गए सहयोग के सभी कार्यक्रमों और संयुक्त कार्य समूह की बैठकों में प्रत्येक भागीदार अपनी लागत का स्वयं वहन करेगा।

अनुच्छेद VI

विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन की व्याख्या या कार्यान्वयन से भागीदारों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को भागीदारों के बीच परामर्श और बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा।

अनुच्छेद VII

संशोधन

इस समझौता ज्ञापन को राजनयिक माध्यम से भागीदारों के बीच टिप्पणियों का आदान-प्रदान करके भागीदारों की आपसी लिखित सहमति से किसी भी समय संशोधित किया जा सकेगा।

अनुच्छेद VIII

प्रभावकारिता, अवधि और समाप्ति


यह एमओयू भागीदारों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से लागू होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। यदि भागीदारों की आपसी लिखित सहमति से संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाता है, तो इसके बाद, इस समझौता ज्ञापन को आगे की 5 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

कोई भी भागीदार इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे के बारे में अन्य भागीदार को तीन माह की लिखित अग्रिम सूचना देकर इस समझौता ज्ञापन को समाप्त कर सकेगा। इस एमओयू की समाप्ति से इस एमओयू के तहत चल रहे किसी कार्यक्रम और परियोजनाओं की वैधता और अवधि पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।


यह समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भागीदारों को कोई अधिकार या दायित्व प्रदान नहीं करता।

इसके साक्ष्य के रूप में, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत किए जाने पर इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इस समझौता ज्ञापन पर 2024 में दिनांक 12 सितम्बर को हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रत्येक की दो मूल प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं, लेकिन व्याख्या में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।


हस्ताक्षर:
नाम: Ms. Marisa Gerards

पदनाम: राजदूत



हस्ताक्षर:

नाम: Bhupinder S Bhalla

पदनाम: सचिव

क्लाइमेट पॉलिसी एंड ग्रीन ग्रोथ
मंत्रालय, नीदरलैंड सरकार
की ओर से

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय,
भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से